"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 10, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से., कलेक्टर, जशपुर को दिनांक 04-12-2006 से 15-12-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03,16,17 एवं 18 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जशपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, जशपुर का चालू कार्य श्री नरेन्द्र दुग्गे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर सम्पादित करेंगे

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-10-2006 द्वारा श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, कांकेर के अर्जित (26-12-2006 से 06-01-2007 तक 12 दिवस) अवकाश अवधि में कलेक्टर, कांकेर का चालू कार्य सम्पादित करने श्री एम. के. गुप्ता, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांकेर को आदेशित किया गया है, में संशोधन करते हुए श्री धनंजय के उक्त अवकाश अवधि में श्री श. धावड़े, अपर कलेक्टर, कांकेर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, कांकेर का चालू कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 2006 का 02 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 22 सितम्बर, 2006 से 24 सितम्बर, 2006 एवं अवकाश 27 सितम्बर, 2006 से 2 अक्टूबर, 2006 तक का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 2006 का 02 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 24 सितम्बर, 2006 एवं 27 सितम्बर, 2006 से 2 अक्टूबर, 2006 तक का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2006

क्रमांक 1186/873/2006/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 30-10-2006 से 4-11-2006 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-10-2006 एवं 5-11-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर को पुन: अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2006

क्रमांक 1188/919/2006/1-8/स्था.—श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग को दिनांक 16-9-2006 से 25-9-2006 तक 11 तथा 27-9-2006 से 20-10-2006 तक 24 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. तिवारी को पुन: अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग, के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जता है कि श्री पी. एस. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, खाद्य विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल क नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंघानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-29/2004/13/1.—ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 335/प्र. स./ऊर्जा/2006, दिनांक 31 जुलाई, 2006 द्वारा श्री मनोज डे, सेवानिवृत्त सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर को दिनांक 01 अगस्त, 2006 से छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 09 दिसम्बर, 2006 जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा इनकी सेवाशर्तों का निर्धारण निम्नानुसार करता है :-

1. संविदा नियुक्ति की अवधि में श्री मनोज डे को छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3, दिनांक 28 जुलाई, 2004, में निहित प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन में से सकल पेंशन की राशि कम की जाकर एकजाई वेतन निर्धारण होगा.

2. एकजाई वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.

3. एकजाई वेतन के अतिरिक्त उन्हें पेंशन तथा उस पर देय राहत विद्युत मण्डल के नियमों के अनुसार पृथक से प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

4. उक्त वेतन के अलावा सदस्य, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी.

5. शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.

6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी.

7. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर राहत भी प्राप्त होगी.

8. यदि सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी, शासकीय आवास गृह में रह रहे थे तो संविदा सेवा के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जाएगा, जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था.

9. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना एवं उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

10. संविदा नियुक्ति के दौरान श्री मनोज डे पर छ. ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे.

11. संविदा/अनुबंध की शर्तों के संबंध में कोई भी विवाद होने पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

12. अनुबंध/संविदा नियुक्ति की समाप्ति के लिए पृथक से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा, वह स्वमेव समाप्त हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक 2201/2376/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा अभनपुर नगर का निवेश क्षेत्र गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :-

अनुसूची

अभनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बिरौदा, बकतरा, झांकी, उरला तथा गिरहोला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गिरहोला, बेलभाटा, खोला तथा ठेलकाबांधा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम ठेलकाबांधा, मातापार, टीकरो तथा सातपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सातपारा, गोतियारडीह, आमनेर, अभनपुर तथा बिरौदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-93/दो/गृह/06.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद

पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2006 को प्रश्न-पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्त खरे	अधीक्षक	निम्न स्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
2.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर
3.	श्री मनदीप सिंह बरार	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर
4.	श्री मुकेश कुमार बंसल	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर
5.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर
6.	श्री राजेश कुमार टोप्पो	सहायक कलेक्टर	उच्च स्तर
7.	कु. रोक्तिमा रॉय	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
8.	श्रीमती फरिहा आलम	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
9.	श्री सु[illegible]र कुमार खलखो	नायब तहसीलदार	उच्च स्तर

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
10.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
11.	कु. [illegible]ना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
12.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	निम्न स्तर
13.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
14.	श्री अविनाश चंपावत	आई. ए. एस.	उच्च स्तर
15.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
16.	श्री रघुनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	उच्च स्तर
17.	कु. [illegible]नी भगत	नायब तहसीलदार	निम्न स्तर
18.	श्री दे[illegible] कुमार कुर्रे	राजस्व निरीक्षक	निम्न स्तर
19.	श्री हेमन्त कुमार ठाकुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्च स्तर
20.	श्री संकल्प साहू	सहायक संचालक	उच्च स्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2006

क्रमांक/4/अ-82/2002-2003/सा.-1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	0.697	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, रतनपुर.	प्रियदर्शनी बस स्टेंड निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 1/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	उमरिया	0.18	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामबोड़ जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 नवम्बर 2006

क्र. 8479/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रूवातला प. ह. नं. 9	21.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	खैरबना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 6 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	रेसरी	19.480	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	रेसरी जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 7 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	छतरंग	0.170	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	छतरंग जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक/206/ले. पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	करतुटोला प. ह. नं. 31	37.87	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	करतुटोला जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक/207/ले. पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मुढोरी प. ह. नं. 31	1.85	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	मुढोरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक/208/ले. पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	बड़े जुगेरा प. ह. नं. 34	10.03	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	लोहारटोला जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक/209/ले. पा./2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मुढोरी प. ह. नं. 31	35.29	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	मुढोरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक/806/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	चीचा	69.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग दुर्ग.	डोड़की जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 6773/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	ताराबहरा	0.13	अनुविभागीय अधिकारी, लोक नि. वि. सेतु उप निर्माण उप-संभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.	मनेन्द्रगढ़, जनकपुर मार्ग के कि. मी. 23/4 पर सेतु निर्माण के पंहुंच मार्ग कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 6773/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	शेरी	0.26	अनुविभागीय अधिकारी, लोक नि. वि. सेतु उप निर्माण उप-संभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.	मनेन्द्रगढ़, जनकपुर मार्ग के कि. मी. 90/10 पर सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

क्रमांक 7118/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुनुक	0.11	अनुविभागीय अधिकारी, लोक नि. वि. सेतु उप निर्माण उप-संभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.	मनेन्द्रगढ़, जनकपुर मार्ग के कि. मी. 58/10 पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नयाबाराद्वार प. ह. नं. 15	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) चांपा, संभाग चांपा.	बिलासपुर, रायगढ़ मार्ग (चांपा से सक्ती) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक 992/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा	3.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक/1076/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कोकानपुर	2.36	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कांकेर.	चारामा - कोरर मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 5/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गगोरी	निजी भूमि 2.733 शा. भूमि 0.728 कुल-3.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	रायकोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण में अर्जित.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 6/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	भिनोदा	निजी भूमि 1.037 शा. भूमि 0.283 कुल-1.320	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	रायकोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण में अर्जित.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ/अ. वि. अ./प्र. क्र. 1 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	राखी प. ह. नं. 71	1	0.81	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.
			2	0.67		
			3	1.07		
			4	0.71		
			5/1	0.21		
			5/2	0.09		
			6	0.68		
			7	0.40		
			8	0.05		
			9	0.05		
			10	0.33		
			12	0.23		
			13	0.40		
			14	0.40		
			15	0.11		
			17	0.37		
			18/1	0.16		
			18/2	0.03		
			19	0.12		
			20	0.06		
			21	0.02		
			22	0.10		
			23	0.64		
			24	0.20		
			25	0.24		
			26/1	0.11		
			26/2	0.19		
			26/3	0.15		
			26/4	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			28	0.67		
			29	0.30		
			30	0.34		
			31/1	0.05		
			31/2	0.13		
			31/3	0.05		
			31/4	0.08		
			31/5	0.08		
			31/6	0.06		
			31/7	0.10		
			31/8	0.09		
			32	0.42		
			33	0.33		
			34	0.27		
			35	0.04		
			36	0.44		
			37	1.13		
			38	0.04		
			39	0.04		
			40	0.19		
			41	0.08		
			42	0.20		
			43	0.30		
			45	0.28		
			46	0.08		
			47	0.08		
			48	0.33		
			49/1	0.37		
			49/2	0.37		
			51	0.38		
			50	0.35		
			52	0.77		
			53	0.23		
			54	0.72		
			55/1	0.05		
			55/2	0.15		
			56	0.25		
			57	0.14		
			58	0.07		
			59	0.06		
			60	0.06		
			61	0.21		
			62	0.07		
			63/1	0.09		
			63/2	0.22		
			64	0.42		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			65	0.24		
			66	0.23		
			67	0.06		
			68	0.63		
			69	0.74		
			70	0.99		
			74	0.06		
			75	0.08		
			76	0.05		
			77	0.08		
			78	0.10		
			79	0.06		
			80	0.06		
			81	0.29		
			82	0.24		
			83	0.11		
			84	0.12		
			85	0.33		
			86	0.12		
			88	0.12		
			89/1	0.29		
			89/2	0.43		
			90	0.16		
			91	0.48		
			92	0.45		
			93	0.23		
			94	0.14		
			95	0.13		
			96	0.06		
			97	0.37		
			98	0.19		
			99	0.12		
			100	0.07		
			101	0.23		
			102	0.50		
			103	0.20		
			104	0.25		
			105	0.28		
			106	0.43		
			107	0.48		
			108	0.11		
			109	0.24		
			110	0.34		
			111	0.20		
			112	0.50		
			113	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			114	0.17		
			115	0.11		
			116	0.13		
			117/1	0.13		
			117/2	0.10		
			118	0.14		
			119	0.15		
			120	0.05		
			121	0.32		
			122	0.15		
			123	0.31		
			124	0.60		
			125	0.07		
			126	0.33		
			127	0.10		
			128	0.06		
			161	0.08		
			162	0.11		
			163	0.10		
			164	0.15		
			165	0.08		
			166	0.55		
			167	0.24		
			168	0.30		
			172	0.25		
			175	0.87		
			176	0.16		
			177	0.17		
			178	0.21		
			179	0.24		
			180	0.08		
			181	0.09		
			182/1	0.04		
			182/2	0.09		
			183	0.33		
			184	0.10		
			185	0.15		
			186	0.23		
			188	0.88		
			187	1.20		
			189	0.75		
			190	0.05		
			191	0.06		
			192	0.37		
			193	0.27		
			194	1.12		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			195	0.01		
			196	0.30		
			197	0.05		
			198	0.50		
			199	0.66		
			200	0.16		
			201	0.16		
			202	0.60		
			203	0.39		
			204	0.82		
			205	0.21		
			206	0.70		
			207	0.06		
			209	0.04		
			208	1.18		
			210	0.24		
			211	0.28		
			212	0.33		
			213	0.14		
			214	0.19		
			215	0.32		
			216	0.38		
			217	0.12		
			218	0.24		
			219	2.41		
			220	1.78		
			221	1.41		
			222	0.13		
			223	0.38		
			224	1.33		
			225	0.69		
			226	0.19		
			227	0.28		
			228	0.06		
			229	1.05		
			230	0.89		
			231	7.60		
			233	0.63		
			234	0.77		
			235/1	0.30		
			235/2	0.30		
			235/3	0.17		
			235/4	0.14		
			236	0.25		
			237	0.49		
			238	0.24		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			239	0.26		
			240	0.28		
			241	0.31		
			242	0.68		
			243	0.25		
			244	0.22		
			246	0.18		
			247	0.27		
			248	0.32		
			249	0.17		
			250	0.24		
			251	0.08		
			252	0.24		
			253	0.13		
			254	0.06		
			255	0.47		
			256	0.12		
			257	0.24		
			258	0.36		
			259	0.51		
			260	1.09		
			261	0.81		
			265	0.05		
			266	1.49		
			267/1	0.16		
			267/2	0.23		
			267/3	0.20		
			268	0.75		
			270/1	0.19		
			270/2	0.29		
			270/3	0.13		
			270/4	0.26		
			270/5	0.05		
			270/6	0.05		
			271/1	1.60		
			271/2	3.00		
			271/3	1.60		
			272	0.05		
			273	0.03		
			274	0.03		
			275	0.03		
			276	0.03		
			277	0.07		
			278	0.14		
			279	0.33		
			280	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			281	0.01		
			282	0.01		
			283	0.03		
			284	0.03		
			285	0.22		
			287	0.07		
			288/1	0.04		
			288/2	0.04		
			288/3	0.04		
			289	0.12		
			290	0.08		
			291	0.04		
			292/1	0.20		
			292/2	0.04		
			292/3	0.24		
			292/4	0.13		
			295/1	0.21		
			295/2	0.05		
			295/3	0.02		
			295/4	0.15		
			295/5	0.15		
			295/6	0.30		
			295/7	0.11		
			296	0.04		
			297	0.35		
			300	0.18		
			301	3.86		
			302	0.07		
			303	0.17		
			304	0.10		
			305	0.19		
			306	0.06		
			307	1.46		
			309	1.33		
			310	0.86		
			311/1	0.05		
			311/2	0.12		
			311/3	0.17		
			313	0.18		
			314	0.23		
			315	0.34		
			316	0.05		
			317	0.17		
			318	0.06		
			319	0.29		
			320	0.29		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			321	0.32		
			322	0.12		
			323	0.34		
			324	0.25		
			325	0.28		
			326	0.71		
			327	0.40		
			328	0.25		
			329	0.16		
			330	0.88		
			331	0.37		
			333	0.18		
			334	0.40		
			335	0.04		
			336	0.12		
			337	0.04		
			338	0.07		
			339	0.26		
			340	0.01		
			341	0.03		
			342	0.11		
			344/1	0.02		
			344/2	0.02		
			344/3	0.04		
			344/4	0.03		
			345	0.07		
			346	0.07		
			347	0.19		
			348	0.17		
			349	0.01		
			350	0.09		
			351/1	0.04		
			351/2	0.04		
			352	0.17		
			353	0.04		
			354/1	0.02		
			354/2	0.01		
			354/3	0.01		
			355	0.05		
			356	0.03		
			357	0.02		
			361	0.18		
			362	0.06		
			363	0.02		
			365	0.05		
			366	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			369	0.92		
			391	0.02		
			392/1	0.01		
			392/2	0.01		
			392/3	0.01		
			392/4	0.01		
			392/5	0.01		
			393	0.06		
			394	0.04		
			395	0.05		
			396/1	0.09		
			396/2	0.03		
			397	0.22		
			398	0.17		
			399	0.21		
			400	0.15		
			401	0.12		
			402	0.02		
			403	0.36		
			404/1	0.06		
			404/2	0.04		
			406	0.05		
			407	0.02		
			409	0.61		
			408	0.10		
			410	0.91		
			411	0.13		
			412	0.26		
			413	0.07		
			414	0.46		
			415	0.20		
			416	0.51		
			417	0.11		
			418	0.52		
			419	0.47		
			420	0.86		
			421	0.45		
			422	0.38		
			423	0.08		
			424	0.09		
			425/1	0.54		
			425/2	0.14		
			426	0.36		
			427	0.84		
			428	0.08		
			429	0.94		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			430	0.12		
			431	0.10		
			432	0.12		
			433	0.17		
			434	0.20		
			435	0.24		
			436	0.08		
			437	0.16		
			438	0.35		
			439	1.42		
			440	0.41		
			442	0.30		
			443	1.03		
			444	0.08		
			445	0.63		
			446	0.12		
			447	0.27		
			448	0.25		
			449	0.24		
			450	0.07		
			451	1.06		
			452	0.24		
			453	0.11		
			454	0.11		
			455	0.38		
			456	0.23		
			457	0.18		
			458	0.37		
			459	0.18		
			460	0.23		
			461	0.20		
			462	0.07		
			463/1	0.10		
			463/2	0.09		
			464	0.18		
			465	0.96		
			466	0.39		
			467	0.06		
			468	0.16		
			469/1	0.18		
			469/2	0.11		
			470	0.20		
			471	0.16		
			472	0.17		
			473	0.18		
			474	0.21		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			475	0.13		
			476	0.07		
			477/1	0.07		
			477/2	0.14		
			478	0.18		
			479	0.13		
			480	0.08		
			481	0.82		
			483	0.27		
			485	0.40		
			486	0.43		
			487	0.51		
			488	0.17		
			489	0.49		
			490	0.07		
			491	0.07		
			492	1.25		
			493	0.36		
			495	0.04		
			496	0.16		
			497	0.10		
			498	0.14		
			499	0.32		
			500	0.20		
			502	0.18		
			503	0.19		
			504	0.03		
			505	0.24		
			506	0.05		
			509	0.12		
			510	0.22		
			511	0.08		
			513	0.12		
			514	0.11		
			515	0.17		
			516	0.04		
			517	0.20		
			518	0.21		
			519	0.05		
			520	0.31		
			521	0.07		
			522	0.22		
			523	0.07		
			524	0.15		
			525	0.37		
			526	0.12		
			527	0.27		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			528	0.08		
			529	0.79		
			532	0.07		
			533	0.45		
			534	0.96		
			535	0.32		
			536	0.08		
			537	0.16		
			538	0.16		
			539	0.34		
			540	0.45		
			541	0.50		
			543	0.16		
			544	0.11		
			545	0.17		
			546	0.53		
			547	0.24		
			548	0.17		
			549	0.43		
			550	0.09		
			551	0.11		
			552/1	071		
			552/2	011		
			553	0.04		
			554	0.20		
			555	0.03		
			556	0.01		
			557	1.00		
			558	0.11		
			559	0.15		
			560	0.15		
			561	0.25		
			562	0.12		
			563	0.11		
			565	0.08		
			566	0.33		
			567	0.02		
			568	0.72		
			569	0.33		
			570	0.43		
			571	0.07		
			572/1	0.49		
			572/2	0.13		
			573	0.23		
			574	0.67		
			576/1	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			576/2	0.05		
			576/3	0.06		
			576/4	0.06		
			578	0.12		
			579/1	0.20		
			579/2	0.10		
			580	0.19		
			581	0.21		
			582	0.39		
			583	0.21		
			584	0.24		
			585	0.09		
			586	0.23		
			587	1.15		
			588	0.38		
			589	0.55		
			592	0.60		
			595	2.26		
			596	0.62		
			597	0.22		
			604	0.10		
			605	0.20		
			606/1	0.05		
			606/2	0.15		
			607	0.41		
			610	0.55		
			611	1.67		
			612	0.34		
			613	1.24		
			614	0.85		
			616	0.38		
			617	0.04		
			618	0.04		
			619	0.14		
			620	0.08		
			621	0.25		
			622	0.40		
			623	0.10		
			624	0.12		
			625	0.26		
			626	0.03		
			628	0.17		
			629	0.16		
			630/1	0.07		
			630/2	0.25		
			630/3	0.40		
			630/4	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			630/5	0.24		
			630/6	0.18		
			630/8	0.39		
			630/7	0.09		
			631	0.40		
			632/1	0.40		
			632/2	0.22		
			633	0.74		
			634	1.43		
			635	0.11		
			636/1	0.16		
			636/2	0.21		
			636/3	0.23		
			636/4	0.15		
			636/5	0.12		
			636/6	0.16		
			636/7	0.10		
			636/8	0.61		
			636/9	0.26		
			636/10	0.27		
			636/11	0.16		
			636/12	0.24		
			637	0.85		
			638	0.25		
			639	0.55		
			640	0.09		
			641	0.11		
			642	0.31		
			643	0.67		
			644	0.70		
			645	0.15		
			646	1.37		
			647	0.12		
			648	1.10		
			649	1.75		
			650/1	0.57		
			650/2	0.37		
			651	1.75		
			654	0.19		
			655	0.29		
			657	0.28		
			658	0.12		
			659	0.30		
			660	0.26		
			661	0.05		
			662	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			665/1	0.57		
			665/2	0.02		
			666	0.52		
			667/1	0.25		
			667/2	0.20		
			668	0.71		
			669	0.37		
			670	0.56		
			671/2	2.21		
			671/3	0.11		
			671/4	0.05		
			671/5	2.00		
			671/6	1.58		
			674/1	2.36		
			674/2	1.07		
			675	0.86		
			676	0.33		
			677	0.33		
			678/3	0.10		
			678/1	0.11		
			678/2	0.10		
			679	0.32		
			680/1	0.43		
			680/2	0.43		
			680/3	0.15		
			680/4	0.22		
			680/5	0.48		
			680/6	0.45		
			680/7	0.12		
			680/8	0.17		
			681/1	0.48		
			681/2	0.10		
			681/3	0.16		
			681/7	0.13		
			681/8	0.20		
			682	0.71		
			683	1.25		
			684	1.35		
			685	0.13		
			686	0.61		
			687	0.57		
			688	0.31		
			689	0.28		
			690	0.20		
			691	0.12		
			692	0.09		
			720	0.02		
			722/1	0.25		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			722/2	0.26		
			722/3	0.04		
			722/4	0.07		
			723/1	0.21		
			723/2	0.26		
			723/3	0.45		
			723/4	0.35		
			723/5	0.19		
			723/6	0.21		
			723/7	0.60		
			723/8	0.22		
			723/9	0.32		
			723/10	0.10		
			723/11	0.36		
			723/12	0.11		
			727	3.01		
			725	1.00		
			728	0.42		
			729	0.18		
			730	0.48		
			731/1	0.28		
			731/2	0.89		
			732	0.50		
			733/1	0.05		
			733/2	0.08		
			733/3	0.05		
			733/4	0.08		
			733/5	0.04		
			733/6	0.03		
			733/7	0.03		
			733/8	0.04		
			733/9	0.05		
			733/10	0.05		
			733/11	0.10		
			733/12	0.03		
			733/13	0.03		
			734	0.10		
			735/1	0.12		
			735/2	0.09		
			735/3	0.09		
			736/1	0.04		
			736/2	0.13		
			737	0.47		
			738	0.64		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			739	0.21		
			740	0.23		
			741	0.63		
			742	0.66		
			745	0.03		
			746	0.02		
			747	0.09		
			748	0.10		
			749	0.03		
			750	0.04		
			751	0.03		
			753	0.62		
			754	0.09		
			755	0.16		
			756	0.28		
			757	0.32		
			758	0.17		
			759	0.38		
			760	0.37		
			761	0.18		
			762	0.37		
			763	0.21		
			764	0.37		
			765	0.16		
			766	0.15		
			767	0.11		
			768	0.41		
			769	0.31		
			770	0.87		
			771	0.02		
			772	0.18		
			773	0.21		
			774	0.10		
			775	0.11		
			776	0.06		
			777	0.59		
			779	0.34		
			781	0.39		
			782	0.57		
			783/1	0.19		
			783/2	0.24		
			784	0.08		
			785	0.12		
			786	0.05		
			787	0.34		
			788	0.19		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			789	0.44		
			790	0.67		
			791	0.35		
			792	0.14		
			793/1	0.04		
			793/2	0.12		
			793/3	0.08		
			794	0.31		
			795	0.17		
			796	0.18		
			797	0.13		
			798	0.16		
			799	0.19		
			800	0.08		
			801	1.15		
			802	0.33		
			803	0.29		
			804	0.31		
			805	0.22		
			806	0.05		
			807	0.02		
			808	0.10		
			809	0.15		
			810	0.74		
			811	0.05		
			812	0.38		
			813	0.23		
			814	0.09		
			815	0.10		
			816	0.28		
			817	0.14		
			818	0.20		
			819	0.48		
			820	0.32		
			821	0.09		
			822	0.43		
			823	0.11		
			824	0.53		
			825	0.21		
			826	0.04		
			827	0.34		
			834	0.14		
			835	0.01		
			843	0.60		
			848	0.18		
			849/1	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			849/2	0.12		
			849/3	0.12		
			849/4	0.07		
			852	0.09		
			865	0.23		
			866	0.18		
			868	0.07		
			869	0.14		
			878	0.50		
			322/914	0.14		
			406/916	0.04		
			409/918	0.11		
			420/913	0.04		
			176/919	0.05		
			323/915	0.06		
			408/917	0.06		
		योग	829	256.59		

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 2 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुहेरा प. ह. नं. 70	7	0.32	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.
			8/1	0.09		
			8/2	0.08		
			8/3	0.08		
			9	0.04		
			10	0.20		
			14	0.03		
			15	0.47		
			16	0.41		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			17/1	0.24		
			17/2	0.13		
			18/1	0.17		
			18/2	0.06		
			18/3	0.10		
			19	0.04		
			20	0.04		
			21	0.14		
			22	0.41		
			24	0.70		
			25/1	0.14		
			25/2	0.13		
			25/3	0.13		
			28	0.34		
			29/1	0.29		
			29/2	0.06		
			30/1	0.18		
			30/2	0.16		
			31	0.42		
			32/1	0.06		
			32/2	0.05		
			33	0.45		
			34	0.42		
			35	0.17		
			36	0.09		
			37	0.13		
			38/1	0.16		
			38/2	0.16		
			39	0.06		
			40/1	0.31		
			40/2	0.10		
			43/1	0.16		
			43/2	0.04		
			44/1	0.12		
			44/2	0.04		
			45	0.24		
			46	0.08		
			47	0.06		
			48/1	0.01		
			48/2	0.05		
			49	0.14		
			50	0.03		
			51	0.07		
			52	0.09		
			53	0.12		
			54	0.14		
			55	0.03		
			56	0.03		
			57	0.21		
			58/1	0.40		
			58/2	0.26		
			59	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			60	0.15		
			61	0.59		
			62	0.40		
			63	0.26		
			64	0.04		
			66	0.80		
			67	0.29		
			68	0.35		
			69/1	0.04		
			69/2	0.03		
			69/3	0.03		
			70	0.30		
			71	0.65		
			72	0.40		
			76	0.78		
			77	1.79		
			78	4.27		
			305	0.18		
			306	0.27		
			307	0.17		
			308	0.34		
			309	0.32		
			310	0.26		
			311	0.03		
			357	0.07		
			योग 86	22.96		

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 3 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कयाबांधा प. ह. नं. 71	269 271	0.06 0.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			272	0.01		
			273	1.83		
			275	4.98		
			276	1.03		
			277	0.44		
			278	0.22		
			279	0.07		
			280	0.10		
			281	0.66		
			282	0.12		
			283	0.06		
			285	0.31		
			292/1	0.17		
			410	0.03		
			411	0.03		
			412	0.04		
			413	0.14		
			414	0.10		
			415	0.06		
			416	0.02		
			418	0.12		
			419	0.08		
			420	0.18		
			421	0.24		
			422	0.03		
			423	0.15		
			424	0.39		
			425	0.15		
			426	0.07		
			429	0.28		
			430	0.07		
			431	0.07		
			432	0.15		
			433	0.15		
			436/1	0.12		
			436/2	0.24		
			438	0.29		
			439	0.29		
			440	0.20		
			442	0.25		
			443	0.32		
			444	0.08		
			445	0.38		
			446	0.40		
			447	0.29		
			450	0.67		
			451/1	0.11		
			451/2	0.38		
			452	1.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			453	0.33		
			454	0.10		
			455/1	0.03		
			455/2	0.05		
			456/1	0.08		
			456/2	0.19		
			457	0.21		
			458	0.07		
			459	0.06		
			460	0.35		
			461	0.41		
			462	0.23		
			463	0.26		
			464	0.07		
			465	0.33		
			466/1	0.16		
			466/2	0.07		
			467	0.12		
			468	0.25		
			469	0.07		
			470	0.18		
			471	0.13		
			474	0.20		
			477	0.46		
			479	0.05		
			958	0.01		
			959	0.06		
			960	0.31		
			961	0.21		
			962	0.25		
			963	0.35		
			964	0.18		
			965	0.26		
			959	0.06		
			966	0.37		
			967	0.16		
			968/1	0.03		
			968/2	0.08		
			979	0.01		
			980	0.37		
			981	0.26		
			982	0.31		
			983	0.33		
			984/1	0.34		
			984/2	0.26		
			984/3	0.05		
			984/4	0.30		
			985	2.53		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			986	0.25		
			987	0.27		
			988	0.44		
			989	0.38		
			990	0.14		
			991	0.14		
			992	0.33		
			993	0.17		
			994	0.16		
			995	0.39		
			996	0.10		
			997	0.11		
			998	0.36		
			999	0.03		
			1000	0.05		
			1001	0.09		
			1002/1	0.11		
			1002/2	0.08		
			1003	0.23		
			1004	0.14		
			1005	0.12		
			1006	0.31		
			1007	0.17		
			1008	0.17		
			1009	0.09		
			1010	0.10		
			1011	0.41		
			1012	0.18		
			1013	0.24		
			1014	0.21		
			1015	0.13		
			1016	0.11		
			1017	0.21		
			1018	0.22		
			1019	0.16		
			1020	0.35		
			1021	0.25		
			1022	0.30		
			1023	0.19		
			1024	0.02		
			1026	0.14		
			1027	0.41		
			1028	0.28		
			1029	0.28		
			1030/1	0.35		
			1030/2	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1030/3	0.23		
			1030/4	0.42		
			474/1035	0.06		
			952	0.03		
			392	0.05		
			393	0.01		
			394	0.01		
			395	0.01		
			396	0.09		
			योग 154	39.68		

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	झांझ प. ह. नं. 71/16	88	0.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.
			96	0.09		
			97	0.04		
			98	0.17		
			99	0.23		
			100	0.02		
			102	0.03		
			242	0.22		
			244	0.07		
			245	0.04		
			248	0.18		
			252	0.36		
			253	0.81		
			254	0.14		
			255	0.12		
			256	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			257	0.06		
			258/1	0.41		
			258/2	0.36		
			258/3	0.05		
			258/4	0.06		
			258/5	0.44		
			258/6	0.20		
			259	0.23		
			260	0.29		
			262	0.41		
			263	0.86		
			264	0.36		
			265	0.29		
			267	0.66		
			268	0.19		
			269	0.42		
			270	0.73		
			271/1	0.05		
			271/2	0.09		
			272	1.95		
			274	0.19		
			301	0.17		
			302	0.01		
			303	0.03		
			305	0.02		
			307	0.02		
			308	0.13		
			309	0.29		
			310	0.03		
			311	0.15		
			312	0.18		
			313	0.87		
			314	0.03		
			322	0.01		
			323	0.80		
			324	0.02		
			326	0.03		
			327/1	0.15		
			327/2	0.14		
			327/3	0.14		
			328	0.07		
			329	0.12		
			330	0.53		
			331	0.72		
			332	0.24		
			333	0.17		
			334	1.77		
			335	0.39		
			336	0.05		
			337	0.41		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			338	0.18		
			339	0.15		
			340	0.12		
			341	0.14		
			342	0.49		
			343	0.20		
			344	3.70		
			345/1	0.31		
			345/2	0.30		
			345/3	0.30		
			346	0.32		
			347	0.14		
			348	0.63		
			349	0.09		
			350	0.25		
			351	0.54		
			352	0.20		
			353	0.33		
			354	0.05		
			355	0.04		
			358	1.42		
			359	0.39		
			360	0.20		
			313/374/1	0.08		
			313/374/2	0.08		
			88/370	0.17		
		योग	92	29.45		

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटराभाठा प. ह. नं. 69	297	0.08	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.
			298	1.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			299	0.11		
			308	0.14		
			309	0.11		
			310	0.39		
			311	0.24		
			312	0.27		
			313	0.19		
			314	0.27		
			315	0.23		
			316/1	0.10		
			316/2	0.10		
			317	0.33		
			318	0.24		
			319	3.41		
			320	10.96		
			321	0.21		
			322	0.33		
			323	0.32		
			324	0.24		
			325	0.24		
			326	0.24		
			331	0.03		
			354	0.02		
			355	0.3		
			356	0.22		
			361	0.05		
			362	1.23		
			363	0.81		
			364	0.44		
			365	0.44		
			366	0.36		
			367	0.38		
			368	0.34		
			369	0.47		
			370	0.34		
			371	0.76		
			योग 38	26.02		

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक/क/वाचक भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 6 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटमी प. ह. नं. 69	20	0.05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी.	नया रायपुर शहर के निर्माण हेतु.
			22	0.16		
			23	0.63		
			24	0.62		
			25	2.19		
			26	1.29		
			27	1.74		
			28	0.32		
			29	0.09		
			231	0.45		
			232	0.61		
			233/1	0.33		
			233/2	0.27		
			235	0.18		
			14	**8.93**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 नवम्बर 2006

क्रमांक 809/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-देउरकोना, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/1	0.52

	(1)	(2)
	49/2	0.01
	34	0.15
	33	0.16
	38	0.01
योग	5	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिव कोकड़ी डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 नवम्बर 2006

क्रमांक 1686/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-बघेली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	382/17	0.10
योग		0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत बघेली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 2 नवम्बर 2006

क्रमांक भू-अर्जन/08/अ/82/वर्ष-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-सम्बलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	432	0.08
योग	1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी मुख्य नहर के वितरक शाखा क्र. 2 अ के जलद्वार नवनिर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-राजूर, प. ह. नं. 73

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
804	0.02
805	0.02
806	0.02
813	0.03
814	0.02
815	0.01
817	0.04
822	0.06
830	0.03
832	0.07
831	0.02
833	0.03
835	0.01 1/2
834	0.02
836	0.09
848	0.05
929/1	0.02
851/1	0.04
851/2	0.06
852	0.05
853	0.02
878	0.03
883	0.01
884	0.01
885	0.0 1/2
886	0.0 1/4
887	0.0 1/4
902	0.01
904	0.01
905	0.01
906	0.02
915	0.05
939	0.07
935	0.40
916	0.03
937	0.22
938	0.06
योग	1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/6/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-कांटाकांदा, प. ह. नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.22
115	0.03
117	0.43
11	0.20
120	0.02
206	0.10
207	0.10
265	0.20
208/2	0.10
251	0.46
253	0.09
256	0.12
258	0.31

(1)	(2)
262	0.29
263	0.10
264	0.07
योग	2.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-जगदलपुर
  (ग) नगर/ग्राम-बास्तानार, प. ह. नं. 10
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126	0.07
151	0.24
825	0.36
828	0.22
1030	0.25
152	0.70
154	0.19
156	0.12
155	0.23
159	0.29
160	0.14
1026	0.08
489	0.09
491	0.14
484	0.27
485	0.12
492	0.37
496	0.41
504	0.52
524	0.04
789	0.24
608	0.73
528	0.17
509	0.17
529	0.96
532	0.16
533	0.26
605	0.24
767	0.10
769	0.22
770	0.18
771	0.29
788	0.47
814	1.12
819	0.47
823	0.06
772	0.11
779	0.08
784	0.46
785	0.05
1029	0.35
1031	0.34
1033	0.07
1036	0.21
1037	0.05
1038	0.23
1077	0.17
1070	0.31
777	0.27
778	0.31
820	0.20
818	0.15
1045	0.04
1064	0.02

(1)	(2)
1073	0.14
योग	14.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक-सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेकिंलेपाल, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1022	0.14
1031	0.16
381/1	0.62
991	0.10
1023	0.18
1024	0.04
1029/1 क	0.03
1030	0.03
1033	0.10
1029/3	0.03
1034/36	0.30
1036/2	0.03
981	0.03
224/2	0.10
381/1	0.15
768	0.01
381/123, 766	0.01
381/388	0.01
1086/5	0.01
764, 381/15	0.01
765/5	0.02
649/1	0.16
649/1	0.14
1089	0.01
1087	0.01
1086/1	0.04
1086/3	0.04
1078	0.01
1077	0.02
1073/1	0.01
1073/1	0.02
221/1	0.17
315/1	0.07
450/1	0.42
446/1	0.08
315/1	0.60
315/1	0.12
232/1	0.13
315/1	0.23
432	0.20
446/1	0.38
649/1	0.10
433	0.05
431	0.05
535/1	0.33
451, 452	0.01
446/1	0.28
446/1	0.66
446/1	0.09
436	0.01
446/1	0.01
315/1	0.17
315/1	0.11
315/1	0.22
315/1	0.12
536	0.07
527	0.08
531/1	0.24
535/1	0.20

(1)	(2)
204/1	0.08
535/1	0.32
205	0.33
1073/1	0.02
योग	8.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायकोट, प. ह. नं. 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
313	0.16
315	0.14
320	0.04
322	0.08
321	0.05
324/1	0.05
376	0.01
326/3	0.02
375	0.01
385	0.16
388/1	0.08
736	0.06
592	0.07
593	0.05
514/1	0.12
629	0.09
654	0.16
730	0.20
755	0.82
735	0.16
737	0.10
738	0.07
740	0.06
742	0.18
744	0.03
750	0.06
756	0.35
881	0.06
882/2 क	0.01
884	0.03
594/2	0.18
324/2	0.02
388/2	0.14
882/221	0.01
886	0.08
887	0.12
893	0.14
894	0.06
895	0.01
898	0.01
899	0.02
902	0.01
368	0.02
880	0.01
869/2	0.04
883	0.02
377	0.02
746	0.14
योग	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेकनेरा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
503/1	0.405
503/2	0.194
508	0.162
503/3	0.404
504	0.182
507	0.161
509	0.097
650/52	1.214
योग	2.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोंडागांव के कार्यालय अथवा कार्यपालन अभियन्ता टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/13/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घोटिया, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.008
44	0.020
46	0.020
172	0.032
173	0.028
178	0.069
540	0.024
योग 7	0.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/14/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुनपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.012
12/2	0.020
12/1	0.020
232/1	0.016
232/2	0.016
5	0.040
योग 6	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/15/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.020
योग 1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर.
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूषपाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.020
163	0.028
87	0.012
96/3	0.020
200	0.032
212	0.012
योग 6	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/17/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चमिया, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.512 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	487	0.012
	488	0.012
	490	0.012
	491	0.012
	547	0.012
	623	0.012
	661	0.012
	760	0.020
	762	0.012
	763	0.012
	774	0.012
	777	0.020
	779	0.020
	790/1	0.320
	489	0.012
योग	15	0.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/18/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनारपाल, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	30, 53/5	0.048
	50	0.040
	33/6 क	0.048
	33/6 ख	0.008
	49	0.016
	48	0.016
	47	0.040
	190/77	0.008
	190/11	0.040
	32	0.020
योग	10	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/19/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.012
15	0.012
18	0.012
17	0.012
75	0.020
77	0.012
80	0.012
79	0.012
81	0.020
198	0.020
204	0.012
190	0.012
205	0.012
योग 13	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/20/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुण्डागांव, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.12
247	0.020
39	0.012
40	0.012
42	0.012
41	0.012
196	0.012
197	0.012
266	0.012
246	0.012
योग 10	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/21/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेआमाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.572 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/1	0.020
179	0.020
201	0.020

(1)	(2)
202	0.012
204	0.020
203	0.012
223	0.012
362	0.012
230	0.040
280	0.012
289	0.012
288/1	0.012
295	0.012
291	0.12
231/1	0.012
364	0.12
365	0.020
366	0.020
367	0.020
411	0.020
410	0.040
412	0.020
601	0.012
602	0.012
603	0.012
609	0.012
614/1	0.020
616	0.040
618	0.040
619	0.020
612/1	0.012
योग 31	0.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/22/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पुरवीटेमरा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/27/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मारकेल, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
532	0.10
533	0.15
534	0.40
535	0.10
536	0.08
538	0.28
903	0.06
912	0.04
978	1.18
982	0.40
980	0.56
984	0.20
981	0.56
983	0.60
1036	0.35
902	0.05
985	0.30
986	0.50
990	0.49
988	0.20
1035	0.42
1041	0.52
1042	0.30
1043	0.35
1044	0.40
1045	0.28
1046/1	0.10
1046/2	0.10
1046/4	0.30
1046/3	0.10
1073	1.20
1072	0.30
1047	0.29
1048	0.24
1051	0.40
1049	0.30
543	0.45
1050	0.40
योग	13.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- बेदरमुण्डा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

प्र. क्र./3/अ/82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तुरी

(ग) नगर/ग्राम- मानिकचौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.50 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
928/2	0.12
932	0.16
933	0.30
934	0.22
954	0.15
955/1	0.62
955/2	0.52
957	0.95
955	0.81
953	0.27
956	1.00
958	0.38
योग 12	5.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिरसा नाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

प्र. क्र./4/अ/82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तुरी

(ग) नगर/ग्राम- भड़हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 83.91 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
65	15.35
71	2.00
73	2.00
74	3.22
75	0.42
76	8.55
84/38	0.60
84/37	0.15
84/39	1.80
84/40	0.30
84/41	1.70
84/42	2.00
84/43	1.51
84/44	2.00
84/45	2.00
84/46	2.00
84/47	2.00
84/48	2.00
84/49	2.00
84/50	2.00
84/51	2.00
84/52	0.75
84/53	1.00
84/54	1.50
85/6	0.15

(1)	(2)
85/7	0.52
85/8	1.00
85/9	1.00
85/10	1.00
85/11	1.00
85/12	1.00
85/13	1.00
85/14	1.00
85/15	1.00
85/16	1.00
85/17	1.00
85/18	1.00
85/19	1.00
85/20	1.00
85/21	0.72
85/22	0.50
85/25	0.09
85/26	0.65
85/27	1.00
85/28	0.85
85/29	0.80
85/30	0.75
85/31	0.67
85/32	0.65
85/33	0.55
85/34	0.51
85/35	0.60
85/36	0.50
85/37	0.12
85/58	0.13
85/59	0.70
85/60	0.24
85/69	0.03
85/70	0.41
85/71	0.51
85/72	0.05
85/88	0.22
85/89	0.14
योग 63	83.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिरसा नाला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवंबर 2006

प्र. क्र./5/अ/ 82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम- पकरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.51 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
526	0.03
536	0.48
योग	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामबोड़ जलाशय बांध पार निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

प्र. क्र./6/अ/ 82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-मुंगेली
   (ग) नगर/ग्राम- रामबोड़
   (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.84 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
36	0.53
147/1	0.31
योग	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामबोड़ जलाशय बांध पार एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 7/अ/82/2002-03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-मुंगेली
   (ग) नगर/ग्राम- रामबोड़
   (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.32 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
144/1	0.32
योग	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामबोड़ जलाशय पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव दिवेद्वी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्र./ 179/भू-अर्जन/03 अ/82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
   (क) जिला-महासमुंद
   (ख) तहसील-बसना
   (ग) नगर/ग्राम- भंवरपुर, प. ह. नं. 21
   (घ) क्षेत्रफल- 0.34 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
644	0.02
645	0.10
646	0.22
योग 03	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बसना भंवरपुर मार्ग के कि. मी. 9/6 पर खुंटी नाला सेतु पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जाता है.

महासमुंद, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्र./ 181/भू-अर्जन/02 अ/82/2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बसना
- (ग) नगर/ग्राम- कर्राभौना, प. ह.नं. 13
- (घ) क्षेत्रफल- 0.41 हेक्टेयर

	खसरा नं.	रकबा (हेक्टयर में)
	(1)	(2)
	13	0.11
	14	0.30
योग	02	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बसना भंवरपुर मार्ग के कि. मी. 9/6 पर खुंटी नाला के पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्र. 189/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम- केकराभांठा
- (घ) क्षेत्रफल- 0.774 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
914/3	0.137
659/5	0.016
659/10	0.162
901	0.020
712/4, 712/2	0.061
705,706, 707,721/1	0.040
723	0.028
712/1, 712/3	0.020
676/2, 900/1	0.061
908/1	0.012
700/2	0.012
700/1	0.008
914/2	0.028
880	0.020

(1)	(2)
872	0.012
873	0.020
722	0.016
881	0.101
योग 18	0.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- जाटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जाता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्र. 190/भू- अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम- कचंदा, पं. ह. नं. 12
- (घ) क्षेत्रफल- 0.073 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टयर में) (2)
414/1, 414/3	0.073
योग 01	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचंदा माइ. 5 एल. माइ. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परीयोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जाता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्र. 191/भू- अर्जन/2006/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम,- जैजैपुर,प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.228 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1446, 1447	0.040
2745	0.004
2598/1	0.016
2710	0.008
2715	0.016
2599	0.024
2598/2	0.040
2708/7	0.032
2605	0.012
1436, 1438	0.036
योग 10	0.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- परसाडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जाता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्र. 192/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम- फरसवानी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.230 हेक्टेयर

खसरा नं. - (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1900/2	0.053
1894/1,2,3	0.008
1946/1	0.016
1944/2	0.008
1094/1 क	0.016
2210/3	0.024
2208/2	0.040
2195/4	0.053
1946/2	0.012
योग	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक 6 अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ ग्राम- रेसरी, प. ह. नं.-6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 19.480 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
101	0.041
102	0.008
105	1.631
106	0.263
107	0.466
155	0.111
156	0.494
165	0.028
103	0.125
104	0.170
157	0.187
158	0.128
160	0.991
164	1.170
172	0.374
226	1.190

(1)	(2)
252	0.647
162	1.525
163	0.433
168	0.012
228	0.709
169	1.883
170	0.008
174	0.107
198	0.065
175	0.092
180	0.380
176	0.129
177	0.081
178	0.227
229	0.153
259	0.364
248	0.210
249	0.141
250	0.334
251/1	0.606
254	0.020
255/1	0.769
255/2	0.370
258	0.851
264	0.097
265	0.737
267	0.395
268	0.212
269	0.161
268	0.008
288	0.250
419	0.041
420	0.113
421	0.121
422	0.222
योग 51	19.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रेसरी जलाशय के डुवान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जाता है.

सरगुजा, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक 7 अ-82/2005-06.---- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम- छतरंग, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.170 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
420	0.065
434/1	0.016
425	0.089
योग 3	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- छतरंग जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्र. /2817 वा. -1/भू-अर्जन/04/अ/82/वर्ष 2003-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ ग्राम- घुमरापदर
- (घ) क्षेत्रफल - 11.78 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
233	1.20
234	1.60
235	1.60
236	0.42
238	1.32
239	0.80
240	0.80
295	0.52
294	0.28
287	0.25
282	1.02
551	0.84
565	0.41
567	0.56
562	0.16
योग 15	11.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अंतर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक /क/व /भू. अ./अ.वि.अ./प्रकरण क्र. 15/अ-82/ वर्ष 2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम- मोटियारीडीह, प.ह. नं. 7
- (घ) क्षेत्रफल - 1.755 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
221, 214	0.129
215	0.117
213, 217	0.182
212	0.214
260	0.176
728	0.097
713	0.012
719	0.024
723	0.28
724, 736	0.166
718	0.008
711, 730	0.218
710, 729	0.024
709, 727	0.291
725, 737	0.069
योग 22	1.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भाटापारा शाखा नहर के चक्रवाही नहर के मोटियारीडीह सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी,भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक /क/वा. /भू. अ./अ.वि.अ./प्रकरण क्र. 22/अ-82/वर्ष 2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम- झिरिया, प. ह. नं. 17
- (घ) क्षेत्रफल - 12.14 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
421	0.22
423	0.08
437	0.20
424	0.17
438	0.28
425	0.16
439	0.16
426	0.18
440	0.19
427	0.22
430	0.16
441	0.14
431	0.12
432	0.13
433	0.13
434	0.15
435	0.19
445	0.12
444	0.12
446	0.14
450	0.42
1261	0.44
1069	0.08
1071	0.06
1093	0.06
1095	0.09
1070	0.14
1094	0.08
1072	0.08
1074	0.07
1075	0.06
2038	0.04
1077	0.03
1977	0.14
2025	0.13
1979	0.20
2003	0.08
2034	0.12
2204	0.15
2212	0.22

(1)	(2)
2005	0.08
2018	0.03
2006	0.01
2013	0.04
2017	0.04
2014	0.08
2016	0.08
2019	0.04
2020	0.04
2041	0.17
2148	0.12
1978	0.04
2026	0.12
1096	0.01
2029	0.12
2035	0.04
2036	0.14
2039	0.12
2154	0.12
2141	0.02
2057	0.13
2149	0.15
2058	0.18
2150	0.16
2084	0.21
2153	0.12
2085	0.18
2146	0.16
2155	0.12
2183	0.11
2144	0.43
2152	0.20
2184	0.14
2187	0.08
2189	0.09
2210	0.08
2186	0.03
2188	0.14
2208	0.10
2211	0.15
2200	0.14
2203	0.15
2206	0.13
2209	0.08
2213	0.14
2214	0.07
2215	0.24
2217	0.18
2220	0.11
443	0.27
447	0.11
2158	0.15
योग 92	12.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- भाटापारा शाखा नहर के झिरिया, नितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 09 नवम्बर 2006

क्रमांक /क/वा. /भू. अ./अ.वि.अ./ प्र. क्र./ 24/अ-82/ वर्ष 2004-05.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम- डूमरतराई, प. ह. नं. 115
- (घ) क्षेत्रफल - 25.785 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.769
189/1	8.358
191/1	8.658
योग 3	25.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है - आवासीय योजना हेतु कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

क्र. 7120/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुन्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम- बैकुन्ठपुर
- (घ) क्षेत्रफल - 0.044 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139/14 क	0.044
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गेज परियोजना की दायीं तट नहर के बैकुन्ठपुर माइनर नम्बर 2 के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुन्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

क्र. 7120/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-सोनहत
- (ग) नगर/ग्राम- तंजारा
- (घ) क्षेत्रफल - 1.56 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346	0.07
290	0.05

(1)	(2)
350	0.03
502	0.04
357	0.04
349	0.01
291	0.04
328/1	0.01
328/2	0.02
297	0.02
328/3	0.01
328/4	0.02
328/5	0.001
561	0.04
328/6	0.01
328/7	0.02
351	0.06
328/8	0.01
342	0.01
328/9	0.01
295/1	0.04
294	0.01
302/1	0.02
337	0.01
302/2	0.02
302/3	0.02
302/4	0.03
302/5	0.06
300	0.03
303	0.01
302/5	0.01
295/2	0.04
551	0.01
293	0.01
295/3	0.04
292	0.06
298	0.02
295/4	0.07
572	0.03
582	0.02
586	0.01
295/5	0.04
581	0.02
587	0.01
503	0.08
284	0.05
285	0.05
296	0.06
564	0.02
563	0.12
501	0.01
योग	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तंजारा जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (रा), बैकुन्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.